न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **03/2017** आवंटन निरस्ती

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गोगुन्दा

—— प्रार्थी

बनाम

श्री पृथ्वीसिंह पिता श्री मोड़सिंह चदाणा, नाहरो का गुड़ा, तहसील गोगुन्दा

—— रेस्पोडेन्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4)
कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थितः 1. श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार
2. श्री गिरजाशंकर मेहता, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

निर्णय

दिनांकः— 11.12.2017

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा एक प्रार्थना पत्र भूमि आवंटन निरस्त कराने अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी पृथ्वीसिंह पिता मोड़सिंह चदाणा, निवासी नाहरो का गुड़ा, तहसील गोगुन्दा को मौजा नाहरो का गुड़ा की आराजी संख्या 2721/2455 रकबा 0.0300 हैक्टर भूमि का आवंटन दिनांक 25.06.99 को आवंटन की गई। जो राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी हक से विपक्षी के नाम दर्ज की गई। परन्तु विपक्षी द्वारा आवंटीत भूमि पर कब्जा नहीं कर कभी काश्त नहीं की गई। नाही आवंटन शर्तो की पालना की गई। जिस हेतु विपक्षी को आवंटित भूमि का आवंटन खारीज कर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटीत भूमि पर मेरा ही कब्जा हैं। जिस पर शांतिपुर्वक मेरे द्वारा काश्त की जा रही हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट निष्पक्ष रूप से नहीं की गई हैं। जबकि वास्तव में

आवंटनशुदा आराजी विपक्षी के कब्जे में होकर उस पर वर्षो पुराना मकान व ढालिया भी बना रखा हैं। जो मवेशी बांधने के काम में आता हैं। अन्य भूमि का उपयोग कृषि कार्य में नियमित रूप से किया जा रहा हैं।

न्यायालय द्वारा पूर्व में दोनो पक्षकारानो को सुना जाकर अपने प्रकरण संख्या 17/2012 प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्ती निर्णय दिनांक 04.09.12 से वादग्रस्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि का पूर्ववत बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। जिससे रूष्ट होकर विपक्षी द्वारा न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 37/13 उदयपुर ऑर्डर निर्णय दिनांक 15.02.17 से प्रकरण इन निर्देशो के साथ में पुनः प्रतिप्रेषित किया गया कि मौके की पुनः उभयपक्षो की उपस्थिति में जॉच करवाकर तथा उभयपक्षो को पुनः साक्ष्य सबुत प्राप्त कर एवं सुनकर आवंटन शर्तो की पालना किये जाने अथवा नहीं किये जाने बाबत विवेचन कर निर्णय पारित करें।

प्रकरण पुनः प्राप्त होने पर नये सीरे से दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष को सुना गया। मौके की रिपोर्ट तहसीलदार गोगुन्दा से ली गई। जिनके द्वारा विपक्षी की उपस्थिति में मौका देखा जाकर पर्चा मौका दिनांक 27.10.17 का न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपने पर्चे मौके में बताया है कि विवादित खसरा संख्या 2721/ 2455 रकबा 0.0300 हैक्टर भूमि वर्तमान रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 2721/2455 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म बीड़ बिलानाम काबिल काश्त दर्ज हैं। मुल नम्बर 2721/2455 रकबा 0. 0300 में से 0.0200 हैक्टर भूमि किस्म परिवर्तन से आबादी दर्ज हाकर वर्तमान में खसरा संख्या 2791/2455 बनकर रकबा 0.0200 हैक्टर आबादी ग्राम पंचायत सुआवतो का गुड़ा के नाम पर अंकित हैं। उक्त खसरा संख्या 2721/2455 रकबा 0.0100 मौके पर पड़त होकर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई काश्त नहीं की जा रही हैं। भूमि का उपयोग बाड़े के रूप में अप्रार्थी पृथ्वीसिंह पिता मोड़सिंह चदाणा द्वारा किया जा रहा हैं। यह भूमि ग्राम नाहरो का गुड़ा की मुख्य आबादी से लगी हुई होकर घरो के बीच में स्थित हैं।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अध्ययन किया गया। तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा प्रस्तुत पर्चे मौके का भी अवलोकन किया गया। विपक्षी को भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की अनुषंशा पर आवंटन दिनांक 25.06.99 को किया गया। परन्तु विपक्षी का मौके पर कब्जा नहीं होने एवं आवंटन आदेश की पालना नहीं करने से भूमि को पुनः बिलानाम दर्ज किये जाने के बाद उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा इस भूमि में से 0.0200 हैक्टर भूमि को आबादी में दर्ज कर दी

गई। शेष 0.0100 हैक्टर भूमि का उपयोग विपक्षी द्वारा बाड़े के रूप में किया जा रहा हैं। भूमि आबादी के पास में स्थित हैं। विपक्षी को भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ हुआ था एवं यह आवंटन करीब 15–16 वर्ष पूर्व हुआ हैं। ऐसी स्थिति में आवंटन निरस्त किया जाना भी न्यायसंगत नहीं हैं। अतः विपक्षी का आवंटन आंशिक बहाल रखा जाकर तहसीलदार गोगुन्दा को आदेशित किया जाता है कि विपक्षी पृथ्वीसिंह पिता मोड़सिंह चदाणा निवासी नाहरो का गुड़ा को आवंटित भूमि आराजी नम्बर 2721/2455 में अवशेष 0.0100 हैक्टर दर्ज की जावें एवं शेष भूमि यथावत बिलानाम आबादी का अंकन दुरूस्त रखा जावें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गोगुन्दा को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर